फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.), मुकाम–सिरोही(राज.)

प्रार्थी		अप्रार्थी
नारायणलाल दवे पुत्र श्री मोहनलाल जाति ब्राहमण नि. डोडूआ तहसील व जिला सिरोही	बनाम	1.स्टेट, जरिये तहसीलदार, सिरोही

किस्म मुकदमा,

राजस्व प्रा.पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट — रा.प्रा.पत्र सं. 40/2024

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
20–12–24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर वकील श्री जितेन्द्रसिंह देवडा व स्टेट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित । अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक/कोर्ट/2024/1268 दिनांक 06–12–2024 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार सिरोही से प्राप्त जवाब अनुसार मौजा डोडूआ के खाता सं. 464 में मोडाराम पुत्र कृपाशंकर जाति–ब्राम्हण व खाता सं. 248 में मोडाराम पुत्र कुपाराम जाति–ब्राम्हण दर्ज है। मोडाराम पुत्र कृपाशंकर की मृत्यु दिनांक 26.06.2023 को हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण–पत्र मोहनलाल पुत्र कृपाशंकरजी के नाम से बना हुआ है। भूमि पुश्तैनी है तथा प्रार्थी तथा अप्रार्थी सं. 2 ता 6 खातेदार मोडाराम पुत्र कृपाशंकर के वारिसान है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड में मोहनलाल पुत्र कृपाशंकर दर्ज है आधार कार्ड में भी मोहनलाल दर्ज है। ग्राम–डोडुआ में मौके पर जाकर ग्रामवासियों से मोडाराम पुत्र कृपाशंकर, मोडाराम पुत्र कूपाराम व मोहनलाल पुत्र कृपाशंकर जाति–ब्राम्हण के बारे में पूछताछ की गई तो जानकारी में आया कि मोडाराम व मोहनलाल एक ही व्यक्ति है. इनके पिताजी का नाम कृपाशंकरजी था। मोहनलाल पुत्र कृपाशंकर व मोडाराम पुत्र कृपाशंकर व मोडाराम पुत्र कुपाराम एक ही व्यक्ति है। इस नाम का ब्राम्हण जाति में ग्राम डोडूआ में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। सरपंच ग्राम पंचायत डोडूआ द्वारा जारी प्रमाण–पत्र में भी इस नाम का एक ही व्यक्ति होना बताया गया है। खाता सं. 464 में मोडाराम पुत्र कृपाशंकर दर्ज है, जो कृपाशंकर सही है। दस्तावेजी साक्ष्यों व ग्राम डोडूआ में इस बाबत जांच करने पर मोहनलाल पुत्र कृपाशंकर सही होना पाया गया है। प्रार्थी के पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र मोहनलाल पुत्र कृपाशंकर के नाम होने से खाता सं. 464 व 248 में विरासत के नामान्तरकरण में समस्या आ रही है। अतः ग्राम–डोडूआ के खाता सं. 464 में मोडाराम की जगह मोहनलाल तथा खाता सं. 248 में मोडाराम पुत्र कुपाराम की जगह मोहनलाल पुत्र कृपाशंकर किया जाना उचित होना बताया है। प्रकरण में वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली	

व दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया ।

सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि मौजा ग्राम–डोडूआ के खाता सं. 464 में मोडाराम की जगह मोहनलाल तथा खाता सं. 248 में मोडाराम पुत्र कुपाराम की जगह मोहनलाल पुत्र कृपाशंकर संशोधन कर उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)